*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/बजट–14–11/2019 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना मद अंतर्गत नगर परिषद्, लखीसराय को आवंटित राशि की निकासी नहीं होने के कारण अनिकासी की राशि कुल ₹355.83697 लाख (तीन करोड़ पचपन लाख तेरासी हजार छः सौ संतानवे रु०) मात्र पुनः वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभागीय राज्यादेश सं०– 09, दिनांक– 30.05.2019 एवं राज्यादेश सं०– 141, दिनांक– 06.03.2019 द्वारा विभिन्न नगर निकायों को मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना मद में राशि स्वीकृत की गई थी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय के पत्रांक– 4372, दिनांक– 30.12.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्वीकृत राशि की निकासी नहीं हो पाई थी। साथ ही इस संबंध में वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक– 882, दिनांक– 02.12.2019 द्वारा निर्गत अनिकासी प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुए अनिकासी की राशि को पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 6 में अंकित अनिकासी की राशि को स्तम्भ– 7 के अनुरूप कुल ₹355.83697 लाख (तीन करोड़ पचपन लाख तेरासी हजार छः सौ संतानवे रु०) मात्र की निकासी की स्वीकृति मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना मद से वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	राज्यादेश/ दिनांक	पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अनिकासी की राशि	पुनः स्वीकृत अनिकासी की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, लखीसराय	09/30.05.2018	276.69362	276.69362	268.52784	268.52784
2		141/06.03.2019	87.30913	87.30913	87.30913	87.30913
		कुल योग	**364.00275**	**364.00275**	**355.83697**	**355.83697**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹355.83697 लाख (तीन करोड़ पचपन लाख तेरासी हजार छः सौ संतानवे रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत ₹355.83697 लाख (तीन करोड़ पचपन लाख तेरासी हजार छः सौ संतानवे रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर नगर परिषद्, लखीसराय के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत ₹355.83697 लाख (तीन करोड़ पचपन लाख तेरासी हजार छः सौ संतानवे रु०) मात्र की निकासी निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217037890102,** विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि से योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या– 1288, दिनांक– 25.02.2016, विभागीय पत्रांक– 2090, दिनांक– 21.03.2016 एवं पत्रांक– 4548, दिनांक– 16.07.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

8. "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) **योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

9. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि (2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बजट–14–11/2019 के पृष्ठ सं०–...27.........../टि० पर दिनांक–...25/02/20...को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–.......29....../टि० पर दिनांक– ...25/02/2020... को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–11/2019 253 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–16/03/2020

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।